

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-181/2018-19

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

मो० पमपी देवी बनाम दुर्गावती कुमारी

08/01/21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

मो० पमपी देवी पति-स्व० रामलखन सिंह,
ग्राम-तैमारा, पो०-तैमारा, थाना-दशमफॉल,
जिला-राँची, जाति-विंझिया, पेशा-गृहणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

दुर्गावती कुमारी पिता-श्री सुकरा सिंह, ग्राम-तैमारा,
पो०-तैमारा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची,
जाति-विंझिया, पेशा-गृहणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री नकुल महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-12/02/2019 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता दुर्गावती कुमारी पिता-श्री सुकरा सिंह, ग्राम-तैमारा, पो०-तैमारा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, जाति-विंझिया, पेशा-गृहणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
तैमारा	बुण्डू (तैमारा)/81	52	252	0.08 ए०
			253	0.05 ए०
				<u>चौहद्दी:-</u> उ०-पी०सी०सी० सड़क। द०-देवमती देवी। पू०-पी०सी०सी० सड़क। प०-पी०सी०सी० सड़क।

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-746 दिनांक-31/12/2020 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत नकुल सिंह के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के पुत्रवधु है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम नकुल सिंह है। तथा रैयत के पास कुल रकबा-5.54 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2012-13 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्रवधु है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाड़ (रैयती) किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-5.41 ए० भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को नाती का शादी एवं हल बैल खरीदने हेतु बिक्री कर रही है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो विंझिया (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही पुलिस थाना के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत विक्रेता मो० पमपी देवी पति-स्व० रामलखन सिंह, ग्राम-तैमारा, पो०-तैमारा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, जाति-विंझिया, पेशा-गृहणी, क्रेता दुर्गावती कुमारी पिता-श्री सुकरा सिंह, ग्राम-तैमारा, पो०-तैमारा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, जाति-विंझिया, पेशा-गृहणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-12/02/2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता मो० पमपी देवी पति-स्व० रामलखन सिंह, ग्राम-तैमारा, पो०-तैमारा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, जाति-विंझिया, पेशा-गृहणी, क्रेता दुर्गावती कुमारी पिता-श्री सुकरा सिंह, ग्राम-तैमारा, पो०-तैमारा, थाना-दशमफॉल, जिला-राँची, जाति-विंझिया, पेशा-गृहणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)a के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
तैमारा	बुण्डू (तैमारा)/81	52	252	0.08 ए०
			253	0.05 ए०
				चौहद्दी:- उ०-पी०सी०सी० सड़क। द०-देवमती देवी। पू०-पी०सी०सी० सड़क। प०-पी०सी०सी० सड़क।

लेखापित एवं संशोधित।

२४.६/०७
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

४.६/०७
भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।